न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 35/22 सन् 2022

आरसीएमएस संख्या 2022/235

बउनवानी :– 1. कजोड पुत्र पून्या मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
2. कमली पत्नि मुरारीलाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
3. कैलाशी पत्नि चंदालाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
4. भरतलाल पुत्र श्योजी मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
5. मूल्या पुत्र रामा मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
6. लाडबाई पत्नि मोहरपाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
7. लाली देवी पत्नि रामखिलाडी मीना, निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा
8. सीताराम पुत्र रंगलाल मीना निवासी ग्राम दतूली तहसील मित्रपुरा

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दतूली तहसील मित्रपुरा
2. भवंर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी दतूली तहसील मित्रपुरा
3. उपजिला कलेक्टर, बौंली

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपजिला कलेक्टर बौली मे जैरकार दावा संख्या 38/2022 उनवानी भवंर सिंह बनाम कजोड वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थित: 1. श्री हिम्मत सिंह राजाावत — वकील प्रार्थी
2. श्री श्रीदास सिहं राजावत — वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 11.01.2023

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर बौंली में विचाराधीन प्रकरण दावा संख्या 38/2022 उनवानी भवंर सिह बनाम कजोड वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तहत न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व उनवानी दावा संख्या 38/2022 एवं उसके साथ प्रार्थना पत्र संख्या 46/2022 अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्ताकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर दिनांक 2.8.2022 को अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करवा लिया है तथा दिनांक 19.10.2022 तक प्रतिवादीगण की तलवी नही की गयी है तथा दावा व टी.आई. प्रार्थना पत्र मे पृथक–पृथक तारीख पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 20.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र मूल दावा भवंर सिंह बनाम कजोड मे पुलिस इमदाद से मौके पर कब्जा दिलवाये जाने बाबत अन्तरिम निषेधाज्ञा की पालना हेतु पेश किया जिसका जवाब भी प्रार्थीगण द्वारा पेश किया। अंतरिम निषेधाज्ञा मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत [illegible] किन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2022 की आड मे प्रार्थीगणो को उक्त [illegible] पर [illegible] बेदखल करना चाहते है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय का पीठासीन अधिकारी [illegible] कर्मचारी अप्रार्थी [illegible] से मिले हुए है अप्रार्थीगण रात्रि मे पीठासीन अधिकारी के बंगले पर आते [illegible] रहते है। इस [illegible] प्रार्थी को उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की [illegible] उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थी [illegible] मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय में जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.08 17:50:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि विवादित भूमि पर हम अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 38/2022 उनवानी भवंर सिंह बनाम कजोड वगै. को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने हेतु मुख्य आधार दावा व टी.आई. के प्रकरण मे पृथक–पृथक तारीख पेशी देना बताया गया है। क्योकि दावा व टी.आई. की पत्रावली पृथक–पृथक संधारित होती है इसलिए पृथक तारीख मुकर्रर हो सकती है। अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से तारीख पेशी के दिन इजलास मे ही सबके सामने उपस्थित होते है कभी बगंले पर आने जाने का आरोज निराधार है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन यह भलिभांति स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार प्रकरण मे देरी करने की गरज से तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या एवं निराधार आरोप लगाते हुए श्रीमान के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर प्राप्त टिप्पणी में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि दावा व टी.आई. की पत्रावली पृथक पृथक होने के कारण अलग–अलग तारीख मुकर्रर हो सकती है तथा प्रार्थी द्वारा पुलिस इमदाद से मौके पर भूमि जुतवाने हेतु आवेदन किया है जिसका जवाब अप्रार्थीगणो की ओर से पेश कर दिया गया है तथा बहस भी हो चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कयास के आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है पीठासीन अधिकारी के बंगले पर प्रार्थीगण का कोई आना जाना नही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही कानूनी तथ्यों को मध्येनजर रखकर न्यायसंगत आदेश प्रतिपादित किया जाता है। यदि उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल कर दिया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बौंली के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन के आधार पर नही होती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित भूमि जो कि प्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी भूमि है जिसपर वर्तमान में स्वंय प्रार्थीगण काबिज होने के बावजूद भी एक पक्षीय अन्तरित स्थगन दिया गया है जो न्यायोचित नही है। विवादित भूमि पर मौका रिपोर्ट दिनांक 5.1.2023 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा सरसो व जौ की फसल वर्तमान में काश्त कर रखी है। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण की सुनवायी अन्यत्र न्यायालय से करवाया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर बौंली के न्यायालय में जैरकार प्रकरण दावा संख्या 38/2022 को सुनवायी हेतु उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की मिसल को 1.2.2023 से पूर्व उपजिला कलेक्टर न्यायालय मलारना डूँगर के न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 1.2.2023 को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.1.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.08 17:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

CS Scanned with CamScanner